प्रकीर्ण वाद संख्या २४१/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं.१६२/२०१७)
श्रीमती राधाबाई आदि बनाम मुकेश कुमार आदि
<u>०६.०१.२०२१</u>

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण श्रीमती राधाबाई, कु. डोली लोधी, अभिषेक लोधी, दशरथ सिंह लोधी व श्रीमती धोकाबाई लोधी द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक ०१.११.२०२० को लोक अदालत में पारित निर्णय/आदेश के अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा प्रतिकर धनराशि जमा कर दी गयी है। न्यायाधिकरण के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में कोई अपील दायर नहीं की गयी है न ही कोई स्थगन आदेश है। अतः प्रार्थीगण ने याचना की है कि न्यायाधिकरण के आदेशानुसार उन्हें धनराशि दिलाए जाने की कृपा की जाए। प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रार्थिया श्रीमती राधाबाई का शपथपत्र, अपने-अपने आधार कार्ड व बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई हैं।

प्रार्थीगण मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा एम.ए.सी.पी. सं.१६२/२०१७ श्रीमती राधाबाई आदि बनाम मुकेश कुमार आदि, प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावलियों व कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया ने अपने शपथपत्र में प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया गया है कि न्यायाधिकरण के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में कोई अपील दायर नहीं की गयी है न ही कोई स्थगन आदेश है। मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक ०१.११.२०२० को ई लोक अदालत में सुलहनामा के आधार पर ₹ ७,००,००० हेतु एवार्ड पारित किया गया है, जिस प्रतिकर धनराशि में से याचीगण सं. १ लगायत ५ को क्रमशः ३०, २५, २५, १० व १० प्रतिशत धनराशि प्राप्त होनी है तथा याचीगण सं. २ व ३ की प्रतिकर की धनराशि उनकी वयस्कता तक के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सर्वाधिक ब्याज दर देने वाली सावधि जमा योजना में जमा की जानी है तथा याची सं. १, ४ व ५ को प्राप्त होने वाली प्रतिकर धनराशि में से २५-२५ प्रतिशत भाग की धनराशि उक्त प्रत्येक याचीगण आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त होनी है तथा शेष ७५-७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति धनराशि की ३-३ वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जानी है। कार्यालय आख्या के अनुसार चेक रजिस्टर के अनुसार क्रमांक १५४ पर पी.एन.बी. झोकनबाग, झाँसी में ₹ ७,००,००० जमा करने का इन्द्राज है। प्रार्थीगण ने अपने बैंक खाते की पास बुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई हैं। अतः मेरे विचार से प्रार्थीगण प्रकरण में जमाशुदा उपरोक्त धनराशि न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन में प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

<u>आदेश</u>

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. १६२/२०१७ (प्रकीर्ण वाद सं. २४१/२०२० श्रीमती राधा बाई आदि बनाम मुकेश कुमार आदि) के प्रकरण में जमा उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि मय अर्जित ब्याज को प्रार्थीगण को निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर देंः-

Applicat/ Petitioner	Amount in ₹	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursment	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
1. Smt. Radhabai	157500	22.5	Annuity for 3 years	___	Any Nationalized Bank	____
1. Smt. Radhabai	52500	7.5	Elect. Mode RTGS/NEFT	92352010011111	Syndicate Bank Govind Churaha Jhansi	SYNB0009235
2. Kum. Dolly Lodhi (Minor)	175000	25	FD up to her majority carrying highest interest through natural guardian/ mother Smt. Radhabai	------	Any Nationalized Bank	____

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.01.06 14:55:28 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI

3. Abhishek Lodhi (Minor)	175000	25	FD up to her majority carrying highest interest through natural guardian/ mother Smt. Radhabai	------	Any Nationalized Bank	____
4. Dashrath	52500	7.5	Annuity for 3 years	___	Any Nationalized Bank	____
4.Dashrath	17500	2.5	Elect.Mode RTGS/NEFT	2567001700270861	P.N.B.	PUNB0256700
5. Smt. Dhokabai Lodhi	52500	7.5	FD for 3 Year,s Under Annuity scheme	___	Any Nationalized Bank	____
5. Smt. Dhokabai Lodhi	17500	2.5	Elect.Mode RTGS/NEFT	92352010011049	Syndicate Bank Govind Churaha Jhansi	SYNB0009235
Total	700000	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।